न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अंजू कुमारी, *R.J.S.*
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः– 717/2023 (CIS No.– 717/2023)
(CNR No.:– RJJW110012922023)

राजस्थान राज्य .....**अभियोगी**

ब ना म

मो. शाकीर पुत्र कुर्बान अली, उम्र 29 वर्ष, निवासी– मोईकलां, पुलिस थाना बपावर, जिला कोटा ग्रामीण (राज.)

.....**अभियुक्त**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 179/2023 पुलिस थाना पनवाड, जिला झालावाड़ (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 498(A), 406 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद अफजल, विद्वान अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से।
2. श्री शिवनारायण नागर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।
3. राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 06–06–2026

1. **प्रकरण में दौराने विचारण दिनांक 11–03–2026 को परिवादिया श्रीमती रवीना अंसारी व अभियुक्त मो. शाकीर द्वारा धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता बाबत् राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश करने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से बजरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त पर शेष आरोप अंतर्गत अपराध धारा 498(A) भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में विचारण शेष होने से यह निर्णय शेष आरोप धारा 498(A) भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में पारित किया जा रहा है।**

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20–07–2023 को परिवादिया श्रीमती रविना अंसारी पत्नी मो. शाकीर पुत्री अब्दुल सलाम ने इस न्यायालय के समक्ष एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ग्राम पनवाड जिला झालावाड की निवासी है। प्रार्थीया का विवाह दिनांक 07–02–2021 को मुस्लिम समाज में प्रचलित रिति रिवाजानुसार ग्राम पनवाड में प्रार्थीया के घर पर मुलजिम मोहम्मद शाकिर पुत्र कुर्बान अली निवासी मोईकलां थाना बपावर जिला कोटा राज. के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के उपरांत प्रार्थीया विदा होकर अपने ससुराल मोईकलां गयी और वहीं रहकर अपने पति के साथ अपने दाम्पत्य अधिकारों व कर्तव्यों का उपयोग उपभोग किया और अपने पत्नि धर्म का पूर्णतया पालन किया। प्रार्थीया व मुलजिम मो. शाकिर के नुत्फे से एक लडकी का जन्म हुआ जिसका नाम आयत है। जिसकी उम्र 10 माह है। शादी के बाद करीब 6 माह तक तो प्रार्थीया के पति व ससुराल वालों का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति ठीक रहा लेकिन 6 माह बाद से ही प्रार्थीया के ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और प्रार्थीया के पति मो. शाकिर द्वारा प्रार्थीया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट

करना व छोटी–छोटी बातों को लेकर प्रताडित करना आम बात हो गयी और प्रार्थीया के पति मो. शाकिर ने प्रार्थीया से कहा कि उसके बाप ने उसे क्या दिया और दहेज लेकर आ और 5 लाख रूपये भी लेकर आ ऐसा कहते हुये प्रार्थीया के साथ मारपीट भी की और कहा कि अगर रूपये लेकर नहीं आयेगी तो उसे नहीं रखेगा और दूसरी औरत कर लेगा। शादी के 10 माह बाद प्रार्थीया डिलीवरी से थी तो मुलजिम ने प्रार्थीया को पिता के यहां 5 लाख रूपये लाने की मांग करके मारपीट की और साथ ही प्रार्थीया के ससुराल पक्ष में ससुर कुर्बान अली, सास खेरूनाबाई, नन्दें मोहराबाई, रिजवाना बाई, गुडडी बाई व जेठ रोशन अली ने भी कहा कि इसे घर से निकाल दो और सास व नन्दों ने प्रार्थीया को बाल पकडकर जमीन पर घसीठा और सभी ने प्रताडित कर व मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रार्थीया बस में बैठकर अपने पीहर ग्राम पनवाड आ गयी। उसके बाद प्रार्थीया के झालावाड अस्पताल में डिलीवरी हुई और एक लडकी आयत का जन्त हुआ। उस समय भी प्रार्थीया के पति व ससुराल पक्ष वालों ने प्रार्थीया की कोई सुध नहीं ली। प्रार्थीया के पिता अब्दुल सलाम ने ही डिलीवरी का सम्पूर्ण खर्चा करीबन 60 हजार रूपये वहन किया। वर्तमान में प्रार्थीया व उसकी लडकी आयत अपने पिता के पास ग्राम पनवाड में निवास कर रही है। प्रार्थीया के पिता ने प्रार्थीया की शादी के समय अपनी हैसियत से बढ चढकर शादी की थी और दहेज में समस्त सोने चांदी के जेवर व स्त्रीधन दिया था। उक्त सम्पूर्ण स्त्रीधन भी मुलजिमान द्वारा हडप कर लिया गया है। दिनांक 10–07–2023 को प्रार्थीया को जानकारी मिली कि मुलजिम मोहम्मद शाकिर द्वारा दूसरी औरत से भी विवाह कर लिया है। सभी मुलजिमान द्वारा प्रार्थीया को मारपीट कर घर से भगा दिया गया है और प्रार्थीया का सम्पूर्ण स्त्रीधन भी हडप कर गये। प्रार्थीया अपनी पुत्री के साथ उसके पिता के पास बोझ बनकर रह रही है .....इत्यादि। अतः इस्तगासा प्रस्तुत कर इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना पनवाड भिजवाने का निवेदन किया। उक्त परिवाद पर पुलिस थाना पनवाड ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179/2023 अंतर्गत धारा 498(A), 406 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान मुलजिम के विरूद्ध 498(A), 406 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

3. पुलिस द्वारा पेश आरोप पत्र के अवलोकन से अभियुक्त मो. शाकीर के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त मो. शाकीर को धारा 498(A), 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 रवीना, पी.ड.02 अंगुरी बाई व पी.ड.03 फारूख के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी–1, शपथ पत्र प्रदर्श पी–2, एसपी ऑफिस में पेश परिवाद प्रदर्श पी–3, शादी कार्ड प्रदर्श पी–4, पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गवाह रवीना प्रदर्श पी–5, पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गवाह अंगुरी बाई प्रदर्श पी–6 व पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गवाह फारूख प्रदर्श पी–7 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

6. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त मो. शाकीर का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होने का अभिवाक् कर गवाहान द्वारा झूंठ बोलने तथा स्वयं का निर्दोष होकर झूंठा फंसाने का कथन किया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना चाहा, जिससे साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7. **प्रकरण में दौराने विचारण दिनांक 11–03–2026 को परिवादिया श्रीमती रविना अंसारी व अभियुक्त मो. शाकीर द्वारा धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता बाबत् राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश करने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से बजरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया है।**

8. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त मो. शाकीर को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डादिष्ट किया जावे।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अपराध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो गया है। अपराध धारा 498(A) भारतीय दण्ड संहिता काबिले राजीनामा नहीं होने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है, अन्यथा पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है और पक्षकारों में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि परिवादीया के बयानों से इस्तगासा प्रदर्श पी–1 की पुष्टि नहीं होती है। परिवादिया पी.ड.01 रवीना, पी.ड.02 अंगूरी बाई, पी.ड.03 फारूख न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः अभियुक्त मो. शाकीर को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

10. तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है किः–

(1) " क्या अभियुक्त मो. शाकीर का विवाह परिवादिया श्रीमती रवीना अंसारी के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार संपन्न होने के उपरांत अभियुक्त ने समय–समय पर परिवादिया से दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया व घर से निकाल दिया ? "

(2) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय है ?

11. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 03 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो अभियोजन पक्ष द्वारा पेश महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.01 श्रीमती रवीना, जो कि प्रकरण में परिवादिया/रिपोर्टकर्ता होकर महत्वपूर्ण गवाह भी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसका निकाह दिनांक 07–02–2021 को मुस्लिम रीति रिवाजानुसार मोहम्मद शाकिर निवासी मोईकलां के साथ हुआ था। शादी के समय उसके माता–पिता ने सभी घरेलू सामान दिये थे। शादी के बाद उसके व उसके पति मोहम्मद शाकिर के नुत्फे से

एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम आयत है। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति व उसके बीच घरेलू बातों को लेकर कहासुनी व झगडा होता था। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। उससे किसी प्रकार की मांग नहीं की। उसने अदालत में परिवाद पेश किया था जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। शपथ पत्र प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने एस पी साहब को परिवाद दिया था जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने उसकी शादी का कार्ड पुलिस को दिया था जो प्रदर्श पी–4 है। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसका पति मोहम्मद शाकिर उससे दहेज के रूप में पांच लाख रूपये की मांग करता हो। यह कहना गलत है कि दहेज की मांग उसने पूरी नहीं की तो उसके साथ वह मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता हो। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके बयान लिए हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का भाग ए से बी व सी से डी गवाह को पढकर सुनाया जो गवाह ने सुनकर जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना सही है कि उसका पति व उसके बीच राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से वह झूठे बयान दे रही हो।

12. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

13. गवाह पी.ड.02 अंगूरी बाई, जो परिवादिया रवीना की माता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसकी पुत्री रवीना का निकाह दिनांक 07–02–2021 को मुस्लिम रीति रिवाजानुसार मोहम्मद शाकिर निवासी मोईकलां के साथ किया था। शादी के समय उन्होंने उसकी पुत्री को सभी घरेलू सामान दिये थे। शादी के बाद उसकी पुत्री व उसके पति मोहम्मद शाकिर के नुत्फे से एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम आयत है। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी लडकी व उसके जवाई मोहम्मद शाकिर के बीच किस बात को लेकर झगडा हुआ उसकी जानकारी में नहीं है। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि मोहम्मद शाकिर उसकी लडकी रवीना से दहेज में पांच लाख रूपये की मांग करता हो। यह कहना गलत है कि दहेज की मांग पूरी नहीं की तो शाकिर उसकी लडकी के साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता हो। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके बयान लिए हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का भाग ए से बी व सी से डी गवाह को पढकर सुनाया जो गवाह ने सुनकर जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना सही है कि उसके पति व उसके बीच राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से वह झूठे बयान दे रही हो।

14. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

15. गवाह पी.ड.03 फारूख ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि रवीना के पिता उनके पड़ोसी है। रवीना की शादी सन् 2021 में शाकिर निवासी मोईकलां के

साथ की थी। शादी में सभी घरेलू सामान दिये थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर झगडा हुआ उसकी जानकारी में नहीं है। उसके सामने किसी प्रकार की मांग नहीं की। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि रवीना का पति मोहम्मद शाकिर रवीना से पांच लाख रूपये की मांग करता हो। यह कहना गलत है कि दहेज की मांग को लेकर रवीना के साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता हो। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके बयान लिए हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का भाग ए से बी व सी से डी गवाह को पढकर सुनाया जो गवाह ने सुनकर जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना सही है कि रवीना और उसके पति के बीच राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से वह झूठे बयान दे रहा हो।

16. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

17. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त मो. शाकीर का विवाह परिवादिया श्रीमती रवीना अंसारी के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार संपन्न होने के उपरांत अभियुक्त ने समय–समय पर परिवादिया से दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया व घर से निकाल दिया।

18. उक्त आरोप के संबंध में परिवादिया पी.ड.01 श्रीमती रवीना ने अपने इस्तगासे प्रदर्श पी–1 में अभियुक्त द्वारा परिवादिया से दहेज में पांच लाख रूपये की मांग करना अंकित करवाया है व दहेज की मांग को लेकर मुलजिम द्वारा परिवादिया से मारपीट करना व प्रार्थीया के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल देना अंकित किया है, वहीं उसके विपरीत परिवादिया ने न्यायालय में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में परिवादिया स्वयं ने उसके द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी–1 की किंचित मात्र ताईद नहीं कर उसके व उसके पति के बीच घरेलू बातों को लेकर कहासुनी होने व परिवादिया से किसी प्रकार की मांग नहीं करने की साक्ष्य दी है। परिवादिया स्वयं न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुयी है तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसका पति मोहम्मद शाकिर उससे दहेज के रूप में पांच लाख रूपये की मांग करता हो तथा इस सुझाव को भी गलत बताया है कि मांग पूरी नहीं की तो उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता हो। साथ ही पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी व सी से डी भाग सुनकर जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। गवाह ने यह कहना सही बताया है कि उसके पति व उसके बीच राजीनामा हो गया है।

19. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.02 अंगूरी बाई, जो कि परिवादिया की माता है, के द्वारा भी परिवादिया पी.ड.01 रवीना द्वारा पेश इस्तगासा प्रदर्श पी–1 की किंचित मात्र भी ताईद नहीं की गई है तथा उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में शादी के बाद उसकी लडकी व उसके जवाई मोहम्मद शाकिर के बीच किस बात को लेकर झगडा हुआ, उसे जानकारी नहीं

होने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह न्यायलय में पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा उक्त गवाह ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहना गलत बताया है कि मोहम्मद शाकिर उसकी लडकी रवीना से दहेज में पांच लाख रूपये की मांग करता हो, मांग पूरी नहीं की तो उसकी लडकी के साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी व सी से डी भाग सुनकर जानकारी के अभाव में गलत होना बताया तथा यह कहना सही बताया है कि रवीना और उसके पति के बीच राजीनामा हो गया है।

20. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.03 फारूख ने भी परिवादिया द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे की किचिंत मात्र भी ताईद अपने मुख्य परीक्षण में नहीं की है तथा शादी के बाद दोनों पति पत्नी के बीच किस बातों को लेकर झगडा हुआ, उसके जानकारी नहीं होने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह भी न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी व सी से डी भाग जानकारी के अभाव में गलत होना बताता है तथा इस सुझाव को सही बताया है कि रवीना व उसके पति के बीच राजीनामा हो गया है।

21. इसके अतिरिक्त परिवादिया पी.ड.01 श्रीमती रवीना ने अपने इस्तगासे प्रदर्श पी–1 की किंचित मात्र भी ताईद अपने मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में नहीं की है। परिवादिया पी.ड.01 श्रीमती रवीना, उसकी माता पी.ड.02 अंगूरी बाई व पी.ड.03 फारूख न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उक्त गवाहान के द्वारा भी इस्तगासा प्रदर्श पी–1 की किंचित मात्र भी ताईद नहीं की है।

22. उपरोक्त विवेचन और विश्लेषण से अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त मो. शाकीर का विवाह परिवादिया श्रीमती रवीना अंसारी के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार संपन्न होने के उपरांत अभियुक्त ने समय–समय पर परिवादिया से दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया व घर से निकाल दिया, जिससे अभियुक्त मो. शाकीर को आरोपित अपराध 498(A) भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

23. अतः अभियुक्त मो. शाकीर पुत्र कुर्बान अली, उम्र 29 वर्ष, निवासी– मोईकलां, पुलिस थाना बपावर, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498(A) भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

24. **प्रकरण में दौराने विचारण दिनांक 11–03–2026 को परिवादिया श्रीमती रवीना व अभियुक्त मो. शाकीर द्वारा धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता बाबत् राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश करने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से बजरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया है।**

25. प्रकरण में जप्तशुदा स्त्रीधन (दहेज सामान) की सुपुर्दगी की कार्यवाही बाद निकलने मियाद अपील संबंधित थानाधिकारी द्वारा की जावे।

26. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रकिया संहिता के तहत 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित हो जावेगा।

27. **धारा 357–A सीआर.पी.सी. के तहत प्रतिकरः–** पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः परिवादिया को धारा 357–A सी.आर.पी.सी. के तहत प्रतिकर दिलाये जाने बाबत् अनुशंषा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण में उक्त धारा के अधीन प्रतिकर बाबत् अनुशंषा नहीं की जा रही है।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

28. निर्णय आज दिनांक 06–06–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MANSI SONI
Steno Gr.III
"Authenticate document"
Digitally signed by MANSI SONI
Date: 2026.06.10 10:09:03 +0530

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।